

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 06/2020

बैंक ऑफ बडौदा
शाखा कार्यालय:-रेलवे कैम्पस,
अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

(1) श्रीमती रेणू शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा

(2) श्री महेश शर्मा

पता:- 259, बी0के0 कौल नगर, अजमेर

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सट्रक्शन
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपरिथत :- श्री संदीप गोयल

अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 07.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्रीमती रेणू शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा व श्री महेश शर्मा, निवासी:- 259, बी0के0 कौल नगर, अजमेर को दिनांक 31.12.2014 को रु 15,40,000/- (अक्षरे पन्द्रह लाख चालीस हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर यूनिट नं0 702, 7वीं मंजिल पर, टॉवर नं0 टी-3, निराला हिल्स जी-2, प्रगति नगर, कोटरा अजमेर स्थित बंधक अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 1780 वर्ग फीट, जिसकी चतुर्दशी पूर्व में:-फ्लेट नं0 701, पश्चिम में:- बालकनी, उत्तर में:-कॉरिडोर एवं फ्लेट नं0 703, दक्षिण में:- बालकनी, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 29.10.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 13,06,390/- (अक्षरे तेरह लाख छः हजार तीन सौ नब्बे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2)

Sanjiv Kumar

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर



के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति यूनिट नं० 702, 7वीं मंजिल पर, टॉवर नं० टी-3, निराला हिल्स जी-2, प्रगति नगर, कोटरा अजमेर स्थित बंधक अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 1780 वर्ग फीट, जिसकी चतुर्दशी पूर्व में:- प्लेट नं० 701, पश्चिम में:- बालकनी, उत्तर में:- कॉरिडोर एवं प्लेट नं० 703, दक्षिण में:- बालकनी, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश देये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्व कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।



Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर